

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
क्रमांक एफ 11(43टी)एफसीए/मुवसअ/2015/ 882

दिनांक 9²/₁₆

निमित्त:-

आति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रॉटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.1 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Agricultural Marketing Board, Division Tonk for construction of Missing Link Road (Dooni Anwa Road to Chandli Maata ji Temple) under forest Division Tonk District Tonk, State Rajasthan.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/राज0/06/43/2015/एफसी/1123 दिनांक 29.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक, टोंक ने पत्रांक एफ ()उवसं/एफसीए/906 दिनांक 29.01.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/राज0/06/43/2015/एफसी/1123 दिनांक 29.12.2015 द्वारा प्रकरण में बताई गई बिन्दुवार A,B,C,D,F,G की कमियों की पूर्ती कर सूचना इस कार्यालय में भिजवायी गई है। बिन्दू संख्या E की पालना निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दू संख्या E :- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6158-61 दिनांक 20.8.2015 द्वारा वन संरक्षक अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट चाही गई थी जो अप्राप्त है इस संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 425 दिनांक 11.1.2016, 583 दिनांक 14.1.2016, 639 दिनांक 1.2.2016 द्वारा उप वन संरक्षक टोंक से प्रकरण से संबंधित रिकार्ड एवं पदस्थापित कार्मिकों की सूचना चाही गई थी जो अभी तक अप्राप्त है। जांच कार्य विचाराधीन है।

वर्तमान जांच अधिकारी का पदोन्नति पर स्थानांतरण भी हो चुका है, तथा वन संरक्षक अजमेर का पद रिक्त है। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवेदीय,

(एस.के.दुबे)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।

दिनांक 9.2.16

क्रमांक सम/ 883

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, टोंक को उनके पत्रांक एफ ()उवसं/एफसीए/906 दिनांक 29.01.2016 क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(एस.के.दुबे)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।